भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2648
(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन अदालत

2648. श्री जय प्रकाश :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए और अधिक पेंशन अदालतें खोलने पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और **(ख):** पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों की दीर्घकालिक लंबित शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 11 पेंशन अदालतें आयोजित की है। इन अदालतों में उठाई गईं कुल 25,224 शिकायतों में से 18,005 का निपटान किया गया जोकि 71.38% से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 3 पेंशन अदालतें आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

****